

No. 01/01/2022-1AR
GOVERNMENT OF HARYANA
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Chandigarh the, 05th February, 2022

Subject: Appointment of State Chief Information Commissioner in the State Information Commission, Haryana.

The Government of Haryana has constituted a body under the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) known as the State Information Commission to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under the Act. The Commission is located in Chandigarh. The Commission shall have the Chief Information Commissioner and upto ten Information Commissioners. The powers and functions of the Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners are as per chapter V of the Act.

2. It is proposed to appoint State Chief Information Commissioner (after retirement of Sh. Yashpal Singal, IPS(Retd.) in the Commission. The Act provides that the State Chief Information Commissioner shall be person of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass-media or administration and governance.

3. Further, the State Chief Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State, or Union Territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business, or pursuing any profession. It is clarified that cessation/termination of holding of office of profit, pursuing any profession or carrying any business is a condition precedent to the appointment of a person as State Chief Information Commissioner.

4. State Chief Information Commissioner shall hold office for a period of three years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier. The salary, allowances and other terms and conditions of service of the State Chief Information Commissioner shall be as per the provision mentioned in the Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, Information Commissioner in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner in the State Information Commission) Rules, 2019 subject to adjustment of the pensionary/retirement benefits availed by him, if any, in accordance with the provisions of the rules.

5. Persons fulfilling the criteria for appointment as State Chief Information Commissioner and interested for appointment to the post may ensure that their particulars in the enclosed proforma by post should reach in the office of Deputy Secretary to Government of Haryana, Administrative Reforms Department, Room No. 43, 7th floor, Haryana Civil Secretariat, Sector-1, Chandigarh, latest by 07.03.2022 (5.00 PM). Persons who are serving under the State/Central Government or any other Organization, may send their particulars through proper channel.

Chief Secretary to Govt. Haryana.

Proforma for the post of State Chief Information Commissioner in the State Information Commission, Haryana.

1. Name:
2. Date of Birth:
3. Present Address:
4. Contact No.
 - a) Telephone (alongwith STD code)
 - b) Mobile
 - c) Fax
5. E-mail address:
6. Education Qualification:
7. Area of Eminance:
8. Present Occupation:
9. Whether any criminal case has been registered against you?
If yes, details thereof.
10. Whether you have been charge-sheeted for any criminal offence?
If yes, details thereof.
11. Whether you have been convicted by any competent court for any criminal offence? If yes, details thereof.
12. Achievements/Work Experience
(in brief):

Please affix
the latest
passport size
photograph

Date:

Signature:

Place:

Name:

कमांक 01/01/2022-1ए0आर0
हरियाणा सरकार
प्रशासकीय सुधार विभाग

दिनांक, चण्डीगढ 05 फरवरी, 2022

विषय:- हरियाणा राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति बारे ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 22) के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गये कार्यों को करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक संस्थान का गठन किया है जो कि हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग के नाम से जाना जाता है। यह चण्डीगढ में स्थित है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम दस सूचना आयुक्त हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की शक्तियां तथा कार्य, अधिनियम के अध्याय 5 के अनुसार होंगे ।

2. हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (श्री यशपाल शिंगल, आई0पी0एस0(रि0) की सेवानिवृत्ति के बाद) की नियुक्ति का प्रस्ताव है। अधिनियम के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबन्ध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाला, समाज में प्रख्यात व्यक्ति होगा।

3. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होगा अथवा वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या उसका किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं होगा अथवा वह कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई व्यवसाय नहीं करेगा । एक व्यक्ति के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की एक पूर्व शर्त यह होगी की यदि वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर है, किसी व्यवसाय में कार्यरत है या कोई व्यापार कर रहा है, उसे उस कार्य/व्यवसाय को छोड़ना पड़ेगा।

4. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जिस तारीख से इस पद के लिए अपना कार्यभार ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए पद धारण करेगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 के अनुसार होंगे। यदि वह कोई पेंशनरी/सेवा निवृत्त लाभ प्राप्त कर रहा है तो नियम में दिए गए प्रावधान अनुसार उसे वेतन में समायोजित कर लिया जाएगा।

5. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए इच्छुक एवम नियुक्ति के लिए मानदण्डों को पूरा करने वाले व्यक्ति यह सुनिश्चित करें कि इन हिदायतों के साथ संलग्न प्रोफार्मा में उनका विवरण, डाक द्वारा, उप सचिव, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग के कार्यालय कमरा नं0 43, 7वीं मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय, सैक्टर-1, चण्डीगढ में दिनांक 07.03.2022 सांय 5 बजे तक पहुंच जाए। जो व्यक्ति राज्य/केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन के अधीन सेवारत है, वह अपना ब्यौरा उचित माध्यम से भिजवाएगा ।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए प्रोफार्मा

1. नाम:
2. जन्म तिथि:
3. वर्तमान पता:
4. सम्पर्क नं०
 - क) दूरभाष (एस०टी०डी० कोड सहित)
 - ख) मोबाईल:
 - ग) फ़ैक्स
5. ई-मेल पता:
6. शैक्षणिक योग्यता:
7. प्रतिष्ठिता का क्षेत्र:
8. वर्तमान व्यवसाय:
9. क्या आपके खिलाफ कोई अपराधिक मामला दर्ज है?
यदि हों, तो उसका विवरण ।
10. क्या आप किसी अपराधिक अपराध के लिए चार्जशीट किये गये हैं?
यदि हों, तो उसका विवरण ।
11. क्या आप किसी अपराधिक अपराध के लिए किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराये गये हैं? यदि हों, तो उसका विवरण ।
12. उपलब्धियां/काम करने का अनुभव :
(संक्षेप में)

नवीनतम
पासपोर्ट
आकार का
फोटो

दिनांक:

हस्ताक्षर:

स्थान:

नाम: